फर्द अहकाम

कानाराम बनाम श्रवण कुमार

न्यायालय A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

संख्या 17/2023 दावा - 88, 188 RTA.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	17.9.25	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र 07 R 11 पर बहस हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC हेतु दिनांक 25/9/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	25/9/25	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC पर बहस की। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ बाबत दिनांक 24/10/25 को पेश हो। A. C. & E. M. (F. T.) SHAHPURA (JAIPUR)	
	24/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली हो। प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार होने से दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। A. C. & E. M. (F. T.) SHAHPURA (JAIPUR)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर, राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद पत्र संख्या :– 17 / 2023

उनवान

1. कानाराम पुत्र स्व0 श्री पन्नाराम, उम्र– 65 वर्ष
2. ललिता पुत्री सुण्डाराम
3. सन्दीप पुत्र सुण्डाराम
4. आरव बुनकर पुत्र नवीन नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता विद्या वर्मा पत्नि नवीन
5. चित्रांश बुनकर पुत्र नवीन नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता विद्या वर्मा पत्नि नवीन

समस्त वयस्क, जाति बुनकर, निवासी हनुतपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– अप्रार्थीगण / वादीगण

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र मूलाराम तथाकथित दत्तक पुत्र बन्नाराम उम्र–वयस्क, निवासी बुनकर मौहल्ला सीपुर, तह0 अजीतगढ़, जिला सीकर, राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. उपतहसीलदार एवं उपपंजीयक उपतहसील कार्यालय अमरसर, जिला जयपुर, राज0।

–प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री रविशंकर अग्रवाल, वकील प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री मदनलाल जाट, वकील अप्रार्थी / वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :– 24.10.2025

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण / प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम –11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 20.09.2024 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

प्रस्तुत वाद पत्र में खसरा नम्बर 653 रकबा 1.0900 है० वाकै ग्राम अमरसर, पटवार हल्का अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज में स्थित भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है उक्त खसरा नम्बर से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 287/2016 उनवानी श्रवण कुमार बनाम राज० सरकार दावा बाबत खातेदारी उदघोषणा किये जाने बाबत दिनाक 15.05.2017 को न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्णित किया जा चुका है। जिसमें प्रार्थी श्रवण कुमार का उक्त वाद पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश, शाहपुरा, जिला जयपुर का उतराधिकार प्रमाण पत्र, ग्राम पचायत का कुर्सीनामा के आधार पर दावा वादी श्रवण कुमार के पक्ष में डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा 1.0900 है० वाकै ग्राम अमरसर, पटवार हल्का अमरसर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज में खातेदार बन्नाराम पुत्र छोटू जाति बलाई का नाम हजफ कर हिस्सा 1/3 में वादी श्रवण कुमार को खातेदारी काश्तकार घोषित किया गया है। जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से ही रही है। इसके बावजूद भी वादीगण को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी तथ्यों को छुपाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि वाद पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। यह कि उक्त प्रकरण पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उसका निर्णय भी हो चुका है जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से ही रही है। इस प्रकार वादीगण को उक्त प्रकरण की शुरू से ही जानकारी होने के बावजूद तथा पूर्व में निर्णित होने के बाद बिना किसी विधिक अधिकार के पुन वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधि द्वारा वर्जित होने के कारण वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान करें। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा, वाद संख्या 287/2016में दिनांक 15.005.2017 को पारित किया गया निर्णय आदेश की सत्य प्रतिलिपि एवं न्यायालय ए.डी.जे द्वारा किये गये आदेश की प्रतिलिपि पेश की।

वकील अप्रार्थी/वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया एवं प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए किया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि :– पूर्व में विचाराधीन राजस्व वाद 287/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 की व तथाकथित उत्तराधिकार, कुर्सीनामा आदि की वादीगण कानाराम व0 को कभी कोई जानकारी नही रही है। राजस्व वाद संख्या 287/2016 में वादीगण कानाराम व0 पक्षकार मुकदमा नही रहे है। इस कारण वादीगण कानाराम व0 को उक्त राजस्व वाद संख्या 287/2016 व उसमें पारित

A.C. & E.M. (F.T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 की शुरू से ही जानकारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी श्रवण कुमार ने गलत एवं मनघन्डत तथ्यों पर आराजी के सह–खातेदार कानाराम वगै0 व पन्नाराम को बिना पक्षकार बनाये ही गलत रूप से 1/3 हिस्से की भूमि के संबंध में उक्त निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। उक्त निर्णय व डिक्री शुरू से वादीगण कानाराम के विरूद्ध निष्प्रभावी रही है। वादीगण कानाराम वगै0 ने प्रस्तुत वाद में कोई तथ्य नहीं छुपाये है। वादीगण कानाराम ने सही एवं वास्तविक तथ्यों पर ही उक्त वाद दायर किया है जो विधि सम्मत है तथा विधि के प्रावधानों की पूर्ति करता है। वादीगण का वाद किसी भी प्रकार से किसी भी विधि के प्रावधानों के विपरित नही है तथा प्रतिवादी श्रवण कुमार ने प्रस्तुत वाद किस विधि व किस प्रावधान के विपरित है, का उल्लेख नहीं किया है। प्रस्तुत वाद विधि सम्मत प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी प्रकार से खारिज किये जाने योग्य नहीं है तथा विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न होने के कारण इस संबंध में प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य व सबूत लेकर निर्णित किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी श्रवण कुमार को कानून में उक्त आवेदन प्रस्तुत करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय शपथ–पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 श्रवण कुमार का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज करने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहॉ तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:–

(क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।

(ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।

(घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ड). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।

(च). जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

विवादित प्रकरण में हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु (घ) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से वर्जित है। अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया । हस्तगत प्रकरण में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया . पत्रावली व वाद–पत्र का अवलोकन किया गया, एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपने वाद–पत्र में जाहिर किया है कि अप्रार्थीगण/वादीगण का कब्जा वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से पर 12 वर्ष से भी अधिक समय से होने के कारण कब्जा मुखालफाना (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर एवं लिखावट के आधार पर खातेदारी घोषणा चाहते है, जबकि वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि न्यायालय हाजा में पूर्व में प्रस्तुत उनवानी वाद श्रवण बनाम सरकार, वाद संख्या 287/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 इस आधार पर पारित किया गया कि " श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा जयपुर का उत्तराधिकार का प्रमाण–पत्र, ग्राम पंचायत अमरसर का कुर्सीनामा के आधार पर दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है एवं आराजी खसरा नंबर 653 रकबा 1.09 है0 वाकै ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा, जयपुर में खातेदार बन्नाराम पुत्र छोटूराम जाति बलाई का नाम हजफ कर हिस्सा 1/3 में वादी (श्रवण) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।", उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि संलग्न पत्रावली है। चूंकि वर्तमान में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाना विधि विरूद्ध है एवं प्रार्थी/प्रतिवादी श्रवण कुमार दत्तक पुत्र बनाराम जाति बलाई निवासी ग्राम अमरसर, कल्याण जी के मन्दिर के पास तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर के संबंध में न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा जयपुर के द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग 10 के अधीन उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिसके आधार पर ही न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद श्रवण बनाम सरकार, वाद संख्या 287/2016 में निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 पारित किया गया है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2017 प्रार्थी/प्रतिवादीगण के हक में पारित किये जाने से एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा अधिकार नहीं दिये जाने से, अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वाद–पत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.10.2025 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रेक)
A. C. & E.M. (F.T.C.)
SHAHPURA (JAIPUR)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर, राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद पत्र संख्या :– 17/2023

उनवान

1. कानाराम पुत्र स्व0 श्री पन्नाराम, उम्र– 65 वर्ष
2. ललिता पुत्री सुण्डाराम
3. सन्दीप पुत्र सुण्डाराम
4. आरव बुनकर पुत्र नवीन नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता विद्या वर्मा पत्नि नवीन
5. चित्रांश बुनकर पुत्र नवीन नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता विद्या वर्मा पत्नि नवीन

समस्त वयस्क, जाति बुनकर, निवासी हनुतपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– अप्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र मूलाराम तथाकथित दत्तक पुत्र बन्नाराम उम्र–वयस्क, निवासी बुनकर मौहल्ला सीपुर, तह0 अजीतगढ़, जिला सीकर, राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. उपतहसीलदार एवं उपपंजीयक उपतहसील कार्यालय अमरसर, जिला जयपुर, राज0।

–प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री रविशंकर अग्रवाल, वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री मदनलाल जाट, वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :– 24.10.25

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर, राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद पत्र संख्या :– 17 / 2023

उनवान

1. कानाराम पुत्र स्व0 श्री पन्नाराम, उम्र– 65 वर्ष
2. ललिता पुत्री सुण्डाराम
3. सन्दीप पुत्र सुण्डाराम
4. आरव बुनकर पुत्र नवीन नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता विद्या वर्मा पत्नि नवीन
5. चित्रांश बुनकर पुत्र नवीन नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता विद्या वर्मा पत्नि नवीन

समस्त वयस्क, जाति बुनकर, निवासी हनुतपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– अप्रार्थीगण / वादीगण

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र मूलाराम तथाकथित दत्तक पुत्र बन्नाराम उम्र–वयस्क, निवासी बुनकर मौहल्ला सीपुर, तह0 अजीतगढ़, जिला सीकर, राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. उपतहसीलदार एवं उपपंजीयक उपतहसील कार्यालय अमरसर, जिला जयपुर, राज0।

–प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री रविशंकर अग्रवाल, वकील प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री मदनलाल जाट, वकील अप्रार्थी / वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :– 24.10.25

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

अप्रार्थी / वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उक्त निर्णय व डिक्री आज दिनांक 24/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा लगाकर जारी की गई है।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर)

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रेक)
(शाहपुरा जिला-जयपुर)
A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)